तारीख हुक्म

1/21 पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक [illegible] कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली दिनांक 6/9/21 को पेश हो।

09 / 2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 3038/भू.अ./21 दिनांक 24.08.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक– पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:33:07 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner